न्यायालयः– विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–03, अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– **अनुराधा दाधीच, आर.जे.एस.**

मूल फौजदारी प्रकरण संख्या :– 1807/2022

सी.आई.एस. नं. :– 1807/2022

नितेश मोटवानी पुत्र श्री राजकुमार मोटवानी, आयु 28 वर्ष, निवासी– ए–26, साई बाबा मन्दिर के पास, नेहरू नगर, अजय नगर, अजमेर

–परिवादी

बनाम

1. राज मोटर्स जरिये प्रोपराईटर विजय गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग, 195/11, कचहरी रोड़, अजमेर।
2. विजय गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग, निवासी– एक्टिवा सर्विस सेन्टर के उपर, सिविल लाईन, अजमेर।

–अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881

उपस्थितिः–
1. परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अजित कुमार पहाड़िया।
2. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद भारद्वाज।

–निर्णय –

दिनांकः– 08–07–2026

1. परिवादी नितेश मोटवानी ने अभियुक्त विजय गर्ग प्रोपराइटर राज मोटर्स के विरूद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त संख्या 2 विजय गर्ग व परिवादी के पिता में पुरानी जान–पहचान व अच्छे व्यवसायिक संबंध होने के नाते आपस में अच्छी जान–पहचान है। अभियुक्त संख्या 2 ने स्वयं को अभियुक्त संख्या 1 राज मोटर्स का प्रोपराइटर बताते हुए अपने व्यावसाय बाबत 3,00,000/– रूपये उधार लिये, जिसकी अदायगी पेटे एक चैक, चैक संख्या 000483, दिनांक 20–07–2022, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा जे.एल.एन हॉस्पीटल रोड, अजमेर का अभियुक्त संख्या 1 राज मोटर्स के खाते का जारी किया। परिवादी ने उक्त चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिए उक्त चैक को समाशोधन हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिनेमा रोड, अजमेर के अपने खाते में प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात उक्त चैक अकाउंट क्लोज्ड होने के आधार पर बिना भुगतान के परिवादी को अनादरण मीमो सहित दिनांक 22–07–2022 को प्राप्त हो गया। परिवादी को उक्त चैक का भुगतान प्राप्त नहीं होने पर अपने अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30–07–2022 को अभियुक्त को नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसके घर व कार्यस्थल के सही पतों पर भेजा। अभियुक्त के कार्य स्थल के पते पर भेजा गया नोटिस

दिनांक 03–08–2022 को अभियुक्त को मिल गया व घर के पते पर भेजा गया नोटिस अभियुक्त को दिनांक 01–08–2022 को प्रापत हो गया। इस प्रकार उक्त चैक बिना भुगतान के अनादरित होने की सूचना अभियुक्त को होने के बावजूद भी नियत अवधि में उक्त उधार ली राशि रूपये 3,00,000/– रूपये का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। अतः अभियुक्त के उक्त कृत्य की सख्त से सख्त सजा दिलाई जावे।

2. न्यायालय द्वारा परिवाद के आधार पर दिनांक 28–09–2022 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त को धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर आरोप से इनकार कर अनवीक्षा चाही।

4. उक्त अपराध को साबित करने के लिए परिवादी नितेश मोटवानी स्वयं ने मुख्य परीक्षण में परीक्षित होकर अपने बयान पीडब्लू–1 के रूप में लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए:–

क्र. सं.	**दस्तावेज**	**प्रदर्श**
01.	असल चैक संख्या	प्रदर्श पी–1
02.	चैक अनादरण मीमो	प्रदर्श पी–2
03.	विधिक नोटिस	प्रदर्श पी–3
04.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी–4 व 5
05.	पावती रसीद	प्रदर्श पी–6 व 7
06.	ट्रेकिंग रिपोर्ट	प्रदर्श पी–8 व 9

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने परिवादी की साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया है कि परिवादी से मेरा लेनदेन होता था। मैंने उसे रूपये लौटा दिये थे। अमानतस्वरूप दिये गये चैक का दुरूपयोग कर झूठा फंसाया गया है। परिवादी मुझसे कोई रूपये नहीं मांगता है। मैं निर्दोष हूं एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. प्रकरण के निस्तारण हेतु अवधारण के लिए प्रश्न यह हैं किः–

(1) *'' क्या अभियुक्त विजय गर्ग ने अपनी बैंक– बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जे.एल.एन. हॉस्पिटल रोड, अजमेर का चैक संख्या 000483, राशि 3,00,000/– रूपये का दिनांक 20–07–2022 का विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को परिदत्त किया जो "अकाउंट क्लोज्ड" के आधार पर अनादरित हुआ? ''*

Authenticated Document

(2) ''उक्त चैक के अनादरण की सूचना परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित समय में दिए जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा चैक राशि का भुगतान नहीं किया गया।''

7. उक्त विचारणीय बिंदुओं के संदर्भ में बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने निवेदन किया कि परिवादी ने अपने परिवाद के तथ्यों को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित किया है। विवादित चैक प्रदर्श पी 1 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने से अभियुक्त ने इंकार नहीं किया है, न ही परिवादी की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया। मात्र औपचारिक रूप से खण्डन किया है, जो पर्याप्त नहीं है। ऐसी सूरत में अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित करते हुए विवादित चैक वर्णित राशि की दोगुनी राशि प्रतिकर के रूप में दिलाई जाए।

8. इसके विरोध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया कि परिवादी ने अभियुक्त को रूपये राशि कौन सी दिनांक को उधार दी इसका हवाला परिवाद और शपथ पत्र में नहीं दिया हुआ है। परिवादी अभियुक्त से जान–पहचान न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कर पाया। परिवादी अभियुक्त को 3,00,000/– रूपये की राशि उधार देना बताता है, जबकि 20,000/– रूपये की राशि से अधिक राशि का नगद भुगतान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार परिवादी का परिवाद न्यायालय के समक्ष साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

09. न्यायालय के विनम्र मत्त में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से उसके विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैं–

10. **"धारा 138 लिखत परकाम्य अधिनियम जो यह कहती है" जिस किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए अपने उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को धन का संदाय करने के लिए बैंकर में खाते पर जो उसके द्वारा अनुरक्षित है, उसके द्वारा लिखा गया चैक चाहे इस कारण से कि उस जमा खाते में चैक का आदर करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं है अथवा यह इस कारण से कि बैंक के साथ व्यवस्था के किए गए करार के द्वारा उस खाते में से संदाय किए जाने के लिए किए गए प्रबंध का चैक उल्लंघन करती बैंक द्वारा असंत्त लौटा दिया जाता है कि उसने 138 एन.आई. एक्ट के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है।"**

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 138 लिखत परकाम्य अधिनियम का निस्तारण करते समय किन–किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनमें अनिल कुमार बनाम गुलशन राय 1994 (1) रिसेंट कीमिनल रिपोर्टर 150 सुप्रीम कोर्ट तथा मेसर्स अशोक कुमार राजेश कुमार बनाम मनमोहन सिंह 1997 कीमिनल लॉ जनरल 3273 पंजाब एंड हरियाणा में चैक अनादरित करने के आवश्यक तत्वों

को स्पष्ट किया गया है। अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेकों का अनादरण अपने आप में अपराध नहीं है। इस धारा के अपराध में अपराध को लाने के लिए कतिपय अन्य अपेक्षाओं से भी पूरा किया जाना चाहिए जो निम्न प्रकार हैं :–

1. चैक ऋण के संपूर्ण अथवा आंशिक उन्मोचन द्वारा अन्य किसी दायित्व के उन्मोचन के संबंध में राशि का भुगतान करने बाबत होना चाहिए।

2. बैंक द्वारा चैक बिना भुगतान के वापस आया हो

3. चैक के भुगतान नहीं होने का कारण धन की अपर्याप्तता अथवा खाते में से भुगतान की व्यवस्था की गई राशि से अधिक हो। इसके अलावा जो अन्य अपेक्षाएं हैं उनमें

(क) कि बैंक में चैक की दिनांक को चैक तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस पर कि उसका उल्लेख किया गया था अथवा इसके विरूद्ध मान्यता कि अवधि के भीतर जो भी पहले हो, इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए,

(ख) भुगतान पाने वाले अथवा सम्यक् अनुक्रम में चैक के धारक को चैक में भुगतान होने वाली राशि की मांग बैंक से चैक की निर्धारण के समय उस जानकारी प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर लेखीवाल अथवा चैक जारी कर्ता को करने चाहिए।

(ग) चैक का लेखीवाल कथित सूचना के 15 दिवस के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहा हो।

12. उपर्युक्त संबंधित प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में यदि हम पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या परिवादिया द्वारा उपर्युक्त लिखित अपेक्षाओं की पालना की गई है अथवा नहीं।

13. उपरोक्त विधिक प्रावधानों के प्रकाश में यदि हम परिवादी द्वारा पेश किए गए परिवादी का अवलोकन करें तो परिवादी ने अपने परिवाद में यह कथन किया है कि अभियुक्त संख्या 2 विजय गर्ग व परिवादी के पिता में पुरानी जान–पहचान व अच्छे व्यवसायिक संबंध थे, जिस कारण अभियुक्त संख्या 2 ने स्वयं को अभियुक्त संख्या 1 का प्रोपराइटर बताते हुए अपने व्यवसाय बाबत 3,00,000/– रूपये उधार मांगे। जिसकी अदायगी पेटे एक चैक, चैक संख्या 000483, दिनांक 20–07–2022, बैंक ऑफ बड़ौदा के, 3,00,000/– रूपये की राशि का परिवादी को दिया, जो परिवादी द्वारा सिकरने बाबत बैंक में पेश किया तथा बैंक ने अकाउंट क्लोज्ड होने के आधार पर परिवादी को उक्त चैक अनादरित कर वापस लौटा दिया, जिस पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिए एक नोटिस अभियुक्त को दिलाया, बावजूद उसके आज दिनांक तक अभियुक्त द्वारा विवादित चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया।

14. परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो अवलोकन से यह जाहिर आया है कि **प्रदर्श पी 1 विवादित चैक** है, जिस पर ए से बी अभियुक्त के हस्ताक्षर होना दर्शित है। यहां पर यह

उल्लेखनीय है कि विवादित चैक पर ए से बी हस्ताक्षर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने से अभियुक्त ने दौराने विचारण और दौराने बहस इंकार नहीं किया है।

15. **प्रदर्श पी 2 रिटर्न मीमो** है, जिसपर विवादित चैक प्रदर्श पी 1 के अनादरित होने का कारण अकाउंट क्लोज्ड होना दर्शित है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज पर भी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।

16. **प्रदर्श पी 3 विधिक नोटिस** है उसी के संदर्भ में **प्रदर्श पी 4 व 5 डाक रसीदें** है। **प्रदर्श पी 6 व 7 प्राप्ति अभिस्वीकृति** है। **प्रदर्श पी 8 व 9 ट्रेकिंग रिपोर्ट** है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि दौराने बहस अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई कि परिवादी द्वारा भेजा गया नोटिस अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ हो।

17. परिवादी स्वयं न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसके भी सशपथ बयानों का अवलोकन करें तो परिवादी अपने बयान में यह कथन करता है कि अभियुक्त विजय गर्ग को 5–6 साल से जानता है। कब से जानता है उसकी फिक्स तारीख मुझे याद नहीं है पर 2019–20 से अभियुक्त को जानता है। वह हमारी फर्म पर आते थे। विजय गर्ग ने बताया था कि वह राज मोटर्स का प्रोपराइटर है। इस प्रकार परिवादी ने अपने बयानों के माध्यम से अभियुक्त से अपनी जान–पहचान होना स्थापित किया है। दौराने बहस अभियुक्त का यह तर्क रहा कि परिवादी अभियुक्त से अपनी जान–पहचान न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कर पाया। जब कि परिवादी ने सशपथ अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि व अभियुक्त को सन् 2019–20 से जानता है। इस स्तर पर यदि अभियुक्त के बयान मुलजिम का अवलोकन करें तो दौराने बयान मुलजिम अभियुक्त ने यह कथन किया कि परिवादी से मेरा लेनदेन होता था। मैंने उसे रूपये लौटा दिये थे। अमानतस्वरूप दिये गये चैक का दुरूपयोग किया गया। इस प्रकार अभियुक्त स्वयं अपने बयान मुलजिम के दौरान यह स्वीकार करता है कि परिवादी से मेरा लेनदेन होता था, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त भी परिवादी को जानता था और परिवादी भी अभियुक्त को जानता था। दोनों के मध्य पैसों का संव्यवहार होता रहता था।

18. आगे परिवादी के बयानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो यह परिवादी अपने बयान में स्पष्ट से यह कथन करता है कि मैंने अभियुक्त को नकद राशि उधार दी थी और अप्रेल 2022 में दी थी। अभियुक्त ने व्यापार के लिए पैसे मांगे थे और अभियुक्त ने राशि 3–4 महीने में लौटाने का कथन किया था और यह भी कथन करता है कि मैंने अभियुक्त को 500–500 रूपये के नोट दिये थे और परिवादी अपने बयान में यह भी कथन करता है कि अभियुक्त को जो उसने राशि दी थी वह उसने अपनी बचत में से दी थी और अपने व्यवसाय के संबंध में भी परिवादी ने स्पष्ट रूप से कथन किया और परिवादी अपने बयान में यह भी कथन करता है कि अभियुक्त विजय गर्ग के साथ पहले भी पैसे का लेनदेन होता था अभियुक्त पैसे लेते थे बाद में लौटा देते थे। अभियुक्त विजय गर्ग ने आखिरी बार अप्रेल सन् 2022 में पैसे उधार लिये थे।

Authenticated Document

19. इस प्रकार परिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त से अपने जान–पहचान होना, अभियुक्त को नकद राशि उधार देना और परिवादी द्वारा अपने बयान में अपने व्यवसाय के बारे में कथन करने, पूर्व में भी अभियुक्त के साथ लेनदेन होने बाबत स्पष्ट रूप से कथन किए हैं।

20. इस प्रकार परिवादी ने अपने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य द्वारा परिवाद के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष साबित किया है। इस स्तर पर परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए प्रदान किया था।

21. अब जहां परिवादी के पक्ष में विधिक उपधारणा का उद्भव हो जाता है, तो उक्त उपधारणा का खंडन करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है तथा अब न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या अभियुक्त परिवादी के पक्ष में उत्पन्न विधिक उपधारणा का खण्डन करने में सफल रहा अथवा नहीं। इसके लिए अभियुक्त के बयान मुलजिम का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो दौराने बयान मुलजिम अभियुक्त ने अपने बचाव में यह कथन किया था कि परिवादी से मेरा लेनदेन होता था मैंने उसे रूपये लौटा दिए थे अमानतस्वरूप दिए गए चैक का दुरूपयोग कर झूठा फंसाया। परिवादी मुझसे कोई रूपये नहीं मांगाता है। दौराने बयान मुलजिम अभियुक्त ने परिवादी से लेनदेन होना स्वीकार किया है। अभियुक्त यह भी कथन करता है कि उसने परिवादी को पैसे लौटा दिए थे, परंतु उक्त कथन बाबत कोई भी दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए, जिससे अभियुक्त के उक्त कथन की संपुष्टि होती हो। न्यायालय के मत में मात्र औपचारिक रूप से मौखिक कथन कर देना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा अपने कहे गए कथनों को ठोस साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने परिवादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की।

22. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त परिवादी के पक्ष में उत्पन्न विधिक उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है तथा परिवादी द्वारा अपने परिवाद के तथ्यों को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के द्वारा न्यायालय के समक्ष साबित किया है। ऐसी सूरत में अभियुक्त आरोप अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

23. अतः अभियुक्त **विजय गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग, प्रोपराइटर राज मोटर्स, निवासी एक्टिवा सर्विस सेन्टर के उपर सिविल लाईन, अजमेर** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

Authenticated Document

24. सजा के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है तथा अभियुक्त की कोई भी दुर्भावना नहीं रही है तथा अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त पर कम जुर्माना अधिरोपित किया जाए।

25. इसके विपरीत अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया कि अभियुक्त का उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान में एनआई, एक्ट के अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है तथा परिवादी लंबे से न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तथा शारीरिक एवं मानिसक रूप से भी प्रताडित हुआ है। अतः अभियुक्त को कारावास की सजा से एवं अर्थदंड से दडित किया जावे।

26. उक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

27. वर्तमान चूंकि चैक अनावरण के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे है। इस स्थिति को देखते हुए परकाम्य लिखत अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य देश में बढ़ते हुए व्यापार, ट्रेड कॉमर्स तथा औद्योगिक गतिविधियों को नियमित करना, वित्तीय मामलों में सतर्कता सुनिश्चित करना तथा क्रेडिटर का चैक जारी करने वालों के प्रति विश्वास सुनिश्चित करना है। मेरे न्यायालय के मत में अभियुक्त अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"Vijayan Vs Sadanandam & Anr 2009 Cr.L.R. (S.C.) 436** में यह अभिनिर्धारित किया है कि **"Having regard to the views expressed hereinabove, we hold that while awarding compensation ander section 357 (3) Crpc the Court is within its jurisdiction to add a default sentence of inprionment as was held in hari singh"s case (cupra)."**

29. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 357 (3) द.प्र.स. के तहत परिवादी को क्षतिपूर्ति दिलाते समय **Default sentence** पारित किया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषी पाए जाने पर उसे कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में क्षतिपूर्ति की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

30. अतः अभियुक्त **विजय गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग, प्रोपराइटर राज मोटर्स, निवासी एक्टिवा सर्विस सेन्टर के उपर सिविल लाईन, अजमेर** को आरोप धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को धारा 138

परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में **06 माह** के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है एवं धारा 357(3) द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को **4,50,000/– रुपए (अक्षरे चार लाख पचास हजार रुपये)** प्रतिकर के रूप में अदा करेगा। उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त **15 दिवस** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जाये। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाये।

(अनुराधा दाधीच)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–03, अजमेर

31. इस निर्णय की एक प्रति अविलंब ई–पोर्टल पर अपलोड की जावे।

32. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 08–07–2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उदघोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(अनुराधा दाधीच)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–03, अजमेर

TEENA VERMA

Steno Gr III
"Authenticate Document"
Digitally signed by TEENA VERMA
Date: 2026.07.08 13:27:17 +0530

Authenticated Document